

परिशिष्ट-दो

प्रपत्र-2 (क)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (संशोधन) नियमावली-2013 के
नियम-17(क) को देखें:

कार्यालय-मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)।

पत्रांक : मान्यता (बे0)/आर0टी0ई0/ 1602 /2021-22 दिनांक 06/7/2021

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबन्धक
श्री राम विद्या मंदिर, श्यामपुर
विकासखण्ड- बहादुराबाद
जिला हरिद्वार।


विषय : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 19(2) के प्रयोजनार्थ
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली-2013 के नियम-17(क)
के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का
प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक।


महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वघोषणा-पत्र दिनांक 10-06-2021 के क्रम
में आपके विद्यालय, श्री राम विद्या मंदिर, श्यामपुर, श्यामपुर विकासखण्ड बहादुराबाद जिला हरिद्वार (कक्षा प्री0
से 08 तक) को अधिनियम की धारा-19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों
को पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद हरिद्वार में आपके विद्यालय को मान्यता
कोड/पंजीकरण संख्या 1162 है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का
उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के नियम-18 के अनुसार
विद्यालय की मान्यता/अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

डा0(आनन्द भारद्वाज)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
हरिद्वार।


PRINCIPAL
SHRI RAM VIDYA MANDIR
Shyampur Haridwar-249408
School Code-81134
Affiliation No- 3530102


MANAGER
Shri Ram Vidya Mandir
(Vidya Vikas Society)
Shyampur, Haridwar